प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

10 मार्च 2017

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ''सेवा कर राजस्व'' संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिसमें मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क, परियोजना आयात (2016 की प्रतिवेदन संख्या 42) पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित हैं, आज संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

परियोजना आयात पर निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹ 1,822 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है ।

इस रिपोर्ट में परियोजना आयात पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं और इसमें ₹ 203 करोड़ के प्रणालीगत मुद्दों के साथ-साथ, ₹ 1,822 करोड़ का राजस्व निहितार्थ है जिसकी आंतरिक नियंत्रण मामले जिनकी मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकी इसके अतिरिक्त मौजूदा नियमों और विनियमों में अनियमितता और अस्पष्टता के कारण वसूली नहीं की जा सकी। निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवर की गई अवधि 2011-12 से 2015-16 है।

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिये की गई थी कि परियोजना आयात के लिये सरल प्रक्रिया का समर्थन करने के लिये पर्याप्त वैधानिक प्रावधान मौजूद है; प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा रहा था; योजना कारोबार सरलीकरण और निगरानी तंत्र प्रदान करने में सफल हुई, समन्वय और आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी थे।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नौ सिफारिशें की गई हैं, जिनमें से मंत्रालय ने आठ सिफारिशें स्वीकार की है।

'परियोजना आयात' इन औद्योगिक परियोजनाओं के लिये अपेक्षित संबंधित मदों और पूँजीगत माल के आयात को सुविधाजनक बनाकर, औद्योगिक संयंत्रों के पर्याप्त विस्तार या स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिये भारत सरकार की योजना है। योजना का उद्देश्य वर्गीकरण और मूल्यांकन की सरल प्रक्रिया उपलब्ध कराकर आयात का सरल और शीघ्र मूल्यांकन करना है। योजना औद्योगिक संयंत्र, सिंचाई परियोजना, ऊर्जा परियोजना, खनन और तेल/खनिज अन्वेषण परियोजना जैसे विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिये उपलब्ध है।

इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:-

I) योजना ने वित्तीय वर्ष 12 से वित्तीय वर्ष 16 में पंजीकृत ठेकों की संख्या और उपार्जित राजस्व में घटती प्रवृत्ति दर्शाई। योजना के अंतर्गत पंजीकृत नये ठेकों की प्रतिशतता लगभग आधी हो गई और परियोजना आयात से राजस्व की प्राप्ति करीब 40 प्रतिशत कम हुई।

{पैराग्राफ 1.3}

II) अधिसूचना और संशोधन जो एक दूसरे से असंगत थे जारी होने के कारण, मूल्यांकन असंगत रूप से हो रहा था जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण कम/अधिक हो रहा था और शुल्क की गलत वसूली हो रही थी।

{पैराग्राफ 3.1}

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि वित्त मंत्रालय, आगे मंत्रालय के रूप में संदर्भित इस मामले में मौजूदा वैधानिक प्रावधानों और शीर्ष न्यायालय के निर्णय की समीक्षा के बाद उचित निर्देश जारी करके परियोजना आयात के अंतर्गत आकलन हेतु प्रावधानों में अनियमितता हटाये।

केंद्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद, आगे बोर्ड के रूप में संदर्भित ने कहा कि वे दिनांक 8 अगस्त 1987 के परिपत्र को वापस लेने पर विचार कर रहे थे।

III) आयात के समापन की निगरानी वाले विनियमों में उपयुक्त प्रावधानों के अभाव के कारण कई परियोजनायें अनिश्चित अवधि से शिथिल पड़ी हैं, और परियोजनाओं के शुरू होने के बाद भी आयातकों को रियायती आयात का अनुचित लाभ दिया जा रहा है।

{पैराग्राफ 3.2}

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि मंत्रालय परियोजना आयात योजना के अंतर्गत पंजीकृत ठेकों में आयात को निर्धारित समय में पूर्ण करने की शर्त को शामिल करने के लिये, पीआईआर 1986 को संशोधित करने पर विचार करे।

बोर्ड ने कहा कि वो अन्य मंत्रालय के साथ परामर्श करके परियोजना आयात के अंतर्गत आयात पूर्ण करने के लिये तीन वर्षों की अवधि, जिसे दो वर्ष के लिये और बढ़ाया जा सकता है, पर विचार कर रहा है।

IV) परियोजना पूर्ण करने की निगरानी हेतु स्पष्ट प्रशासनिक दायित्वों के बिना एक परियोजना के लिये कई प्रायोजना प्राधिकारी हैं और क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हेतु परियोजना ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया या नहीं।

{पैराग्राफ 3.3}

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि पीआईआर 1986 में प्रायोजन प्राधिकारी से संबंधित प्रावधानों को परियोजना की बेहतर निगरानी और अनुचित लाभ हेतु कोई भी अवसर न देने के लिये एकीकृत परियोजना हेतु प्रायोजन प्राधिकरण की स्थापना करने के लिये स्पष्ट किया जाना चाहिये।

बोर्ड सिफारिश की जांच करने और उचित संशोधन/स्पष्टीकरण जारी करने के लिये सहमत था।

V) ठेके अपेक्षित दस्तावेज न होने पर भी पूर्ण किये गये थे, परियोजना के पर्याप्त विस्तार हेतु ठेकों को क्षमता विस्तार और अनुचित आयातों की वास्तविक पुष्टि के बिना स्वीकृति दी गई थी। आयात परियोजनाओं के व्यापार सुविधाकरण पहलु की जाँच में लेखापरीक्षा ने कुछ मुख्य बंदरगाहों पर कार्गो की निकासी में पर्याप्त विलम्ब देखे।

{पैराग्राफ 4.1}

आयात परियोजनाओं के व्यापार सुविधाकरण पहलु की जांच में लेखापरीक्षा ने कुछ मुख्य पोर्टों पर कार्गों की क्लीयरेंस में पर्याप्त विलम्ब देखें । आयातकों द्वारा कई दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक था। आयातकों ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये या विलम्ब से प्रस्तुत किये थे।

{पैराग्राफ 5.1}

लेखापरीक्षा सिफारिश करता हैं कि मंत्रालय आवश्यकताओं को सरल बनाने के उद्देश्य से परियोजना आयात योजना के अन्तर्गत अपेक्षित दस्तावेजों की मात्रा को समीक्षा पर विचार करे। बोर्ड न कहा कि आयात पूर्व और पश्चात हेतु नियमों में निर्दिष्ट दस्तावेज उचित हैं। तथापि, मत्रालय सहमत है कि वरिष्ठ स्तर पर कुशल मानिटरिंग की आवश्यकता है।

यद्यपि बोर्ड द्वारा अनंतिम आकलन करने के लिये निर्धारित समय तीन माह है। परियोजना आयात पूर्ण करने में लेखापरीक्षा द्वारा विलम्ब देखा गया विशेष रूप से तब जब आयात पंजीकरण पोर्ट के अलावा किसी दूसरे पोर्ट से किया गया था।

{पैराग्राफ 5.3}

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि बोर्ड ठेके को पूर्ण करने में विलम्ब से बचने के लिये, टीआरए पोर्ट से पंजीकरण पोर्ट तक टीआरए आकलन (बीई) के इलैक्ट्रॉनिक प्रेषण की संभावना को बढ़ा कर, अन्य पोर्ट के माध्यम से प्रभावित आयात की निगरानी और प्रक्रिया को सरल बना सकता है।

बोर्ड टीआरए पोर्ट से पंजीकरण पोर्ट तक टीआरए आकलन (बीई) के इलैक्ट्रॉनिक प्रेषण सहित आईसीईएस 1.5 में परियोजना प्रबंधन मोड्यूल विकसित करने के लिये सहमत हुआ।

महत्वपूर्ण निष्कर्ष में लेखापरीक्षा ने परियोजना आयात कारोबार का सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली के साथ अनुकलन नहीं किए जाने का उल्लेख किया। प्रणाली परियोजना आयात कारोबार का पूर्ण डाटा नहीं ले पाती। परिणामस्वरूप, योजना के अंतर्गत पंजीकृत परियोजना में होने वाले पूर्ण आयात की पूरी जानकारी मिलना लगभग असंभव है, इसके अतिरिक्त योजना की निगरानी को अत्यधिक जटिल बनाता है और मैनुअल रूप से कार्य करने पर मजबूर करता है।

{पैराग्राफ 6.1}

> *लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस 1.5वी) के माध्यम से परियोजना सामग्री आयात की प्रभावी निगरानी हेतु बोर्ड को मैनुअल प्रणाली के माध्यम से परियोजना आयात मामलों की निगरानी पर निर्भरता को कम करने के लिये आईसीईएस में ईपीसीजी योजना की पद्धति पर परियोजना प्रबंधन मोड्यूल की संभावना का पता लगाना चाहिये।*

बोर्ड ने कहा कि पीआईआर में संशोधन के आधार पर, परियोजना प्रबंधन मोड्यूल आईसीईएस 1.5 में विकसित किया जायेगा।